रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2001] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936
No. 2001] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

सं. 94/2014-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का. आ. 2536(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड मैसर्स अबन एक्जिम प्रा. लि., डी-60/2, बेसमेंट, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली और अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसचूना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, नई दिल्ली द्वारा डी आर आई एफ सं. 23/70/2013-डी जेड यू/ 1408 से 1415, दिनांक 18 मार्च, 2014 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए,

(i) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(ii) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कन्टेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, दादरी, (ए पी एल), उत्तर प्रदेश;

(iii) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, (बंदरगाह-आयात), जवाहरलाल नेहरू, सीमा शुल्क सदन, न्हावा शेवा तालुका-उड़ान, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र- 400707;

(iv) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, (आयात), सीमा शुल्क सदन, चैन्ने, (सी कार्गो), 60, राजाजी, सलाई, चैन्ने;

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा अपर आयुक्त, सीमाशुल्क इन्लैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/107/2014- सीमाशुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014

No. 94/ 2014-Customs (N.T.)

S.O. 2536(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi;

(ii) the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Dadri (APL), Uttar Pradesh;

(iii) the Additional Commissioner of Customs, (Port-Import), Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva, Taluka-Uran, District- Raigad, Maharashtra-400707;

(iv) the Additional Commissioner of Customs, (Import), Custom House, Chennai (Sea Cargo), 60, Rajaji Salai, Chennai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Aban Exim Pvt. Ltd., D-60/2, Basement, East of Kailash, New Delhi and others issued *vide* DRI F. No. 23/70/2013-DZU/1408 to 1415, dated the 18th March, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, New Delhi.

[F. No. 437/107/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.